Rule 67 : Form and manner of submission of statement of supplies through an e-commerce operator

(1) Every electronic commerce operator required to collect tax at source under section 52 shall furnish a statement in **FORM GSTR-8** electronically on the common portal, either directly or from a Facilitation Centre notified by the Commissioner, containing details of supplies effected through such operator and the amount of tax collected as required under sub-section (1) of section 52.

(2) The details furnished by the operator under sub-rule (1) shall be made available electronically to each of the suppliers [1]**[****]** on the common portal after [2]**[*****]** filing of **FORM GSTR-8** [3]**[**for claiming the amount of tax collected in his electronic cash ledger after validation.**]**

---

1 The words "in **Part C** of **FORM GSTR-2A**" omitted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

2 The words "the due date of" omitted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

3 Inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

नियम 67 : ई–वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्रदायों के विवरण को प्रस्तुत करने का प्रारूप और रीति

(1) धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर संग्रहीत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलैक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र से सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप में **प्ररूप जीएसटीआर–8** में विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसे प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदायों के ब्यौरों तथा धारा 52 की उप–धारा (1) के अपेक्षानुसार संग्रहीत कर की रकम अन्तर्विष्ट होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे **प्ररूप जीएसटीआर–8** के फाइल किए जाने [1]**[........]** के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर [2]**[**विधिमान्यकरण के पश्चात् उसके इलैक्ट्रानिक नकद खाते में से कटौती की गई कर की रकम का दावा करने के लिए**]** [3]**[......]** प्रत्येक प्रदायकर्ता को इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा शब्द ''की देय तारीख'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

2 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।
सीजीएसटी (चौथा संशोधन) नियम, 2019 द्वारा संशोधन उचित स्थान पर नहीं किए गए है।

3 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा ''**प्ररूप जीएसटीआर–2क** के **भाग ग** में'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।